<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क.— 5/16</u>

<u>संस्थित दिनांक— 13.01.2016</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1. लालाराम पुत्र श्यामलाल अहिरवार उम्र 23 साल
- 2. श्यामलाल पुत्र पल्लूराम अहिरवार उम्र 51 साल
- 3. मुन्नी बाई पत्नी श्यामलाल अहिरवार उम्र 46 साल निवासी ग्राम भीलरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०

.....अभियुक्तगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 498''ए'' के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 25.05.14 से लगातार 06.01.2016 के ग्राम भीतरी में अपने मकान में फरियादी शशिबाई का पित अथवा पित के नाते दार होते हुय, फरियादी से नगदी रूपये व मूल्यावान संपित्ति की मांग करते हुये उसे प्रतािडत कर उसके साथ कूरता कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि शशिबाई की शादी फरवरी 2014 को हिन्दू रिती रिवाज के अनुसार अभियुक्त लालाराम निवासी चंदेरी के साथ हुई थी। शादी के करीब तीन माह तक फरियादियां पित व सास—ससुर ने अच्छे से रखा। उसके बाद फरियादियां के साथ दहेज को लेकर परेशान करने लगे। फरियादियां के पित लालाराम ने कहा कि अपने मायके से एक लाख और मोटरसाइकिल मंगा ले। फरियादियां यह बात अपने मम्मी कुंवरबाई व पापा प्रकाश को बतायी तो उन्होने फरियादियां को समझाया। इसके बाद फरियादियां के पित उसके साथ मारपीट करने लगे। यह बात फरियादियां ने अपनी सास और मुन्नी बाई व सुसर श्यामलाल को बतायी, तो दोनों ने फरियादियां के पित को समझाने के बजाय कहने लगा कि मोटरसाइकिल मां—बाप से मंगा ले और फरियादियां के साथ मारपीट करने लगा और भगा दिया। उसके बाद फरियादियां शिंश बाई ने परिवार परामर्श केंद्र अशोकनगर में जाकर दरखास दी एवं फरियादियां के रिश्तेदारों को पित और सास और ससुर को समझाने के लिये कहा। उसके बाद भी अभियुक्तगण नहीं मानने तो फरियादी द्वारा थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध

(2) <u>दांडिक प्रकरण क.— 5/16</u>

कार्यवाही किये जाने बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथिप 1 लेखबद्ध करायी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कमांक—11/16 अंतर्गत धारा 498''ए'' भा०द०वि० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है।
- 04— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक 13.06.17 को फरियादी शिश बाई के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत् आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 का प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की धारा 498ए शमनीय प्रकृति की न होने के कारण प्रस्तुत आवेदनों को निरस्त कर उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण का विचारण जारी रहा।
- 05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.05.14 से लगातार 06. 01.2016 के ग्राम भीतरी में अपने मकान फरियादी शशिबाई का पति अथवा पति के नाते दार होते हुय, फरियादी से नगदी रूपये व मूल्यावान संपत्ति की मांग करते हुये उसे प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित की ?
 - 2. दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

<u>—ः सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये प्रकरण फरियादी शिशा बाई (अ0सा0—1) सिहत उसकी मां कुवर बाई (अ0सा0—2) एवं पिता प्रकाश (अ0सा0—3) व के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी शिशा बाई (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना हे कि उसकी अभियुक्त लालाराम से शादी उसकी शादी 23 फरवरी 2014 हुई थी। इस साक्षी के अनुसार वह अपने पित के साथ ससुराल में तीन चार माह रही थी तथा शादी के बाद से ही उसकी लालाराम से नही बनी ओर घरेलू बातों को लेकर विवाद होता रहता था। साक्षी का कहना है कि एक दिन विवाद ज्यादा बढ़ने से वह अपने मायके आ गई थी तथा ससुराल से जब कोई लेने नही आया तो उसके पिता ने थाने पर शिकायत की थी, जिसके बाद उसे थाने पर बुलाया गया जहां उसने प्र0पी 1 की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे। फरियादी का कहना है कि रिपोर्ट में क्या लिखा है उसे इसकी जानकारी नही है, उसने अपने पिता के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(3) <u>दांडिक प्रकरण क.— 5 / 16</u>

- 07— प्रकाश (अ०सा0—3) तथा कुंवर बाइ (अ०सा0—2) जो कि फरियादी के माता पिता हैं, ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि उनकी लड़की शिश बाई (अ०सा0—1) व दामाद लालाराम घरेलू बातों पर झगड़ते थे, जिसके बाद शिश मायके में आकर रहने लगी और जब उनकी लड़की को कोई लेने नहीं आया, तो इसकी शिकायत थाने पर की गयी थी। फरियादी शिश बाई (अ०सा0—1) व कुंवर बाई (अ०सा0—2) जहां थाने पर शिकायत प्रकाश (अ०सा0—3) द्वारा किया जाना बताते हैं, वहीं प्रकाश (अ०सा0—3) शिश बाई (अ०सा0—1) के द्वारा थाने पर शिकायत किया जाना बताते हैं अतः थाने पर शिकायत किसके द्वारा की गयी इस संबंध में ही साक्षियों के कथनों में ही विरोधाभास हैं, परन्तु फरियादी सहित कुंवर बाई (अ०सा0—2) व प्रकाश (अ०सा0—3) का एक मत होकर यह कहना है कि फरियादी शिश बाई का उसके पित लालाराम से घरेलू बातों पर विवाद होने पर वह मायके आकर रहने लगी थी और जब उसे कोई लेने नहीं आया तो थाने पर प्र0पी0 1 की रिपोर्ट लेख करायी गयी थी।
- 08— अतः फरियादी शशि बाई (अ०सा०—1) सिहत उसके माता पिता के कथन अनुसार फरियादी का अभियुक्त लालाराम से मात्र विवाद होता था जो कि दहेज की मांग को लेकर न होकर घरेलू बातों पर होता था और थाने पर भी दर्ज करायी गयी प्र०पी० 1 की रिपोर्ट इन साक्षियों के अनुसार दहेज की मांग को लेकर फरियादी को प्रताडित किये जाने के संबंध में नही की गयी बिल्क जब ससुराल पक्ष फरियादी शिश बाई को मायक से लेने नही आ रहा था तो इस बात की रिपोर्ट थाने पर की गयी थी। फरियादी शिश बाई (अ०सा०—1) के द्वारा न्यायालय में दिये कथनों का समर्थन उसके माता—पिता ने अपने न्यायालीन कथनों में किया है, परन्तु इन साक्षियों के कथन अभियोजन घटना के विपरीत हैं। प्र०पी० 1 की रिपोर्ट में लेख घटना फरियादी के न्यायालय में दिये गये कथनों से मेल नही खाती है जिससे फरियादी के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 से नही होती है।
- 09— फरियादी शशि बाई (अ०सा0—1) सिहत प्रकाश (अ०सा0—3) व कुंवर बाई (अ०सा0—2) के द्वारा मुख्यपरीक्षण अभियोजन का समर्थन न करने के कारण एवं अभियोजन घटना के विरूद्ध न्यायालय में कथन देने के कारण इन साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी कर उनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, परन्तु फरियादी सिहत प्रकाश (अ०सा0—3) व कुंवर बाई (अ०सा0—2) ने अभियोजन घटना का लेषमात्र भी समर्थन नही किया। फरियादी सिहत सभी साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात का स्पष्ट खण्डन किया कि अभियुक्तगण ने शादी के बाद से कभी भी फरियादी का दहेज की मांग के लिये प्रताडित किया या फरियादी के साथ मारपीट की। फरियादी सिहत अन्य साक्षियों का भी अपने न्यायालीन कथनों में यही कहना है कि अभियुक्त लालाराम व शिश बाई के मध्य मामूली घरेलू झगडा था।
- 10— फरियादी शशि बाई (अ०सा0—1) प्रकरण में मुख्य साक्षी है तथा अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध शशि बाई (अ०सा0—1) ने ही प्र०पी० 1 की रिपोर्ट पुलिस थाना चंदेरी में की हैं, जिसके उपर से अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। परन्तु फरियादी शशि बाई (अ०सा0—1) अपने मुख्यपरीक्षण में ही यह कहती है कि प्र०पी० 1 की रिपोर्ट पर उसने अपने पिता के कहने पर हस्ताक्षर किये थे, रिपोर्ट में क्या लिखा है इसकी उसे जानकारी नही है। फरियादी शशि बाई (अ०सा0—1) अपने मुख्य

परीक्षण में अपने पित घरेलू बातों पर विवाद होना बताती है। इस साक्षी का कही भी यह कहना नहीं है कि उसके पित लालाराम या उसके माता पिता ने उसे दहेज की मांग के लिये किसी भी प्रकार से प्रताडित किया या उसके साथ मारपीट की थी। बिल्क इसके विपरीत शिश बाई (अ०सा0—1) का कहना है कि उसके साथ सास ससुर जो कि प्रकरण में अभियुक्त हैं, से उसका कभी कोई विवाद नहीं हुआ तथा वो लोग तो उसका समर्थन करते थे।

- 11— फरियादी शिश बाई (अ०सा०—1) अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी के विरूद्ध ऐसी किसी भी घटना के घटित होने से इन्कार करती हैं जिसमें अभियुक्तगण ने उसे दहेज के लिये उसे प्रताडित कर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की । यहां तक फरियादिया प्र०पी० 1 की रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसकी जानकारी न होने के साथ ऐसी कोई भी घटना पुलिस को लेख कराने से इन्कार करती है। अतः ऐसे में अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है कि अभियुक्तगण ने शादी के बाद कभी भी फरियादी शिश बाई को दहेज के रूप में एक लाख रूपये और मोटरसाइकिल लाने के लिये प्रताडित किया या उसके साथ उक्त कारण से मारपीट की थी।
- 12— फरियादिया शिश बाई (अ०सा०—1) सिहत प्रकाश (अ०सा०—3) व कुवंर बाई (अ०सा०—2) अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्त लालाराम से शिश बाई (अ०सा०—1) का विवाद तो होना बताते है परन्तु इन सभी सिक्षयों का कहना है कि उनके बीच घरेलू विवाद था। फरियादिया शिश बाई (अ०सा०—1) अपने मुख्यपरीक्षण में ही व्यक्त किया है कि उसके पित से उसकी शादी के बाद नहीं बनी तथा घरेलू बातों पर विवाद होने लगा था। अतः अभिलेख पर जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके अनुसार अभियुक्त और फरियादी के मध्य पित—पत्नी के बीच होने वाले वैचारिक मतभेद एवं घरेलू विवाद थे। अब देखा ये जाना है कि वास्तव में ऐसे विवाद भा०द०वि० की धारा 498''ए'' के अपराध की श्रेणी में आते है अथवा नहीं।
- 13— यहां भा0दं0वि0 की धारा 498''ए'' का उल्लेख किया जाना उचित होगा। धारा 498''ए'' के अनुसार— जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति कूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जूर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण:-इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "कूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

- (क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है; या
- (ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

- 14— धारा 498''ए'' में उल्लेखित शब्द क्रूरता को स्पष्ट करने के लिये उक्त धारा के स्पष्टीकरण में दो खण्ड (क) तथा (ख) का उल्लेख किया गया है अतः ऐसे में धारा 498 ''ए'' के अपराध के लिये यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर क्रूरता खण्ड (क) के अधीन आती है या खण्ड (ख) के अधीन, या दोनो खण्डो की अधीन आती है। अभिलेख पर फरियादी सहित अन्य किसी भी साक्षी ने ऐसे कोई कथन नही दिये हैं जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ किया गया आचरण फरियादी शशि बाई (अ०सा0—1) को आत्महत्या करने के लिये या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा उत्पन्न करता हो।
- 15— पति—पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद एवं मामूली घरेलू विवाद वैवाहिक जीवन का एक भाग होता है अतः ऐसे मामूली विवाद 498''ए'' के स्पष्टीकरण के ,खण्ड क की श्रेणी में नही आते। जहां तक स्पष्टीकरण के खण्ड ''ख'' का प्रश्न है तो स्वंय फरियादी सहित अन्य साक्षियों ने इस बात का खण्डन किया है कि अभियुक्त ने शादी के बाद शिश बाई (अ0सा0—1) से कभी भी दहेज की कोई मांग की।
- 16— अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी शिश बाई (अ0सा0—1) के साथ जानबूझकर ऐसा कोई आचरण किया जिससे फरियादी आत्महत्या करने के लिये प्रेरित हो या फरियादी के जीवन, अंग या मानसिक अथवा शारीरिक रूप से गम्भीर क्षिति या खतरा कारित करने की सम्भावना थी। वहीं फरियादी सिहत अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन ने देने से अभिलेख पर इस आशय की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अभियुक्त ने फरियादी शिश बाई (अ0सा0—1) को या उसके माता पिता को दहेज की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रपीडित किया अथवा उक्त कारण से फरियादी को तंग किया कि फरियादी माता पिता ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।
- 17— परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि अभियुक्तगण दिनांक 25.05.14 से लगातार 06.01.2016 के ग्राम भीतरी में अपने मकान में फरियादी शशिबाई का पित अथवा पित के नातेदार होते हुय, फरियादी शशिबाई से नगदी रूपये व मूल्यावान संपित्त की मांग करते हुये उसे प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित की।
- 18— फलस्वरूप अभियुक्त लालाराम पुत्र श्यामलाल अहिरवार, श्यामलाल पुत्र पल्लराम अहिरवार, मुन्नी बाई पिंटन श्यामलाल के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा ४९८ ''ए'' के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त लालाराम पुत्र श्यामलाल अहिरवार, श्यामलाल पुत्र पल्लराम अहिरवार, मुन्नी बाई पिंटन श्यामलाल को भा०दं०वि० की धारा ४९८ ''ए'' के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(6) <u>दांडिक प्रकरण क. - 5 / 16</u>

17— <mark>अभियुक्त लालाराम पुत्र श्यामलाल अहिरवार, श्यामलाल पुत्र पल्लराम अहिरवार, मुन्नी बाई पत्नि श्यामलाल</mark> के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा—428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नही।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)